प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **182 / 2025** (अपील सूचना का अधिकार)

जितेन्द्र कुमार खटीक पुत्र नानुराम खटीक निवासीः कुमारिया खेड़ा, तहसील नाथद्वारा, राजसमन्द, राज.

..............**अपीलार्थी**

बनाम

1. लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), उदयपुर
2. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी(शहर), उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 24/12/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 17.09.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय के पत्रांक रीडर / सू.अ.2005 / प्रथम अपील / 182 / 25 / 1180–82 दिनांक 01.12.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

प्रत्यर्थी संख्या 1 लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) उदयपुर ने जरिये पत्राक प. / 41 / 2 / सू.अ / प्र.अ.स. / 182 / 25 / 1186 दिनांक 05.12.2025 से न्यायालय को प्रत्युत्तर प्रेषित करते हुए अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 17.09.2025 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। आवेदन पत्र में वर्णितानुसार प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संबंध निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (शहर), उदयपुर से होने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 933–34 दिनांक 18.09.2025 से ऑफलाईन उक्त कार्यालय में अंतरित कर दिया गया एवं उक्त अंतरण के संबंध में प्रार्थी को भी सूचित किया गया। अतः प्रथम अपील निस्तारित करने का श्रम करावें।

प्रत्यर्थी संख्या 2 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अति. जिला कलक्टर (शहर), उदयपुर द्वारा जरिये पत्रांक एफ 37( ) निर्वा. / ईआरओ / आरटीआई / 2025 / 635–637 दिनांक 17.12.2025 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय द्वारा दिनांक 15.10.2025 को तैयार कर प्रार्थी को

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

कुल पृष्ठ 17 प्रति पृष्ठ 2 रूपये अनुसार 34/– रुपये की राशि जरिये चालान मद 0029–00–800–12–00 अन्य मद के माध्यम से राजकोष में जमा कराने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 358 दिनांक 15.10.2025 द्वारा जरिये डाक सूचित किया गया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 05.12.2025 को वांछित सूचना इस कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर प्राप्त कर ली गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत अपीलोत्तर अनुसार अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना प्रत्यर्थी संख्या 2 के कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर प्राप्त कर ली गई है। ऐसी स्थिति में अपील में अन्य कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रह जाती है। प्रत्यर्थी द्वारा न्यायालय में प्रेषित प्रत्युतर के विपरीत अपीलार्थी की ओर से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए, ऐसी स्थिति में यह माना उचित होगा है कि वांछित सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है एवं वह प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित जवाब से संतुष्ट है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24-12-2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर